THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) As per the licensing policy guidelines for the sugar industry announced vide Press Note dated 8.11.1991, other things being equal preference in licensing will be given to proposals from the Cooperative Sector and the Public Sector in that order, as compared to the Private Secter.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The applications received for grants of industrial licences for establishment of new sugar factories in the State of Karnataka including the application of M/s. Krishnarajpet Sugar Mill were considered in accordance with the prevailing licensing policy guidelines.

Subsidy to FCI

1044. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the amount of subsidy provided to the Food Corporation of India for the benefit of consumers and producers during 1994-95;

(b) whether these benefits are limited to certain States only; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Food subsidy is paid to the Food Corporation of India for reimbursement of (i) difference between economic cost of foodgrains and their issue prices *viz.* consumer subsidy and (ii) carrying cost of buffer stocks i.e. cost of storage, interest etc. During 1994-95 a sum of Rs. 4,509 crores was released on account of food subsidy to the FCI.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

निर्यात हेतु अभिप्रेत चावल के मूल्य में वृद्धि

1045. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने मई, 1995 से निर्यात के लिए अभिप्रेत चावल की कीमतों में अनेकों बार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब-कब और कितनी-कितनी की गई;

(ग) क्या कीमतों में हर बार वृद्धि करने के लिए नए कारण थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए सरकारी स्टॉक से निर्यात के लिए फाइन और सुपर फाइन चावल की खुली बिक्री के लिए समय-समय पर निर्धारित मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) मूल्य का निर्धारण और संशोधन लेवी मूल्य, घरेलू खपत के लिए खुले बाजार के बिक्री मूल्य और डालर और रुपए की समता दर में उतार चढ़ाव जैसे अनेक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए सरकारी स्टॉक से निर्यात के लिए फाइन और सुपर फाइन चावल की खुली बिक्री हेतु मूल्य

(मूल्य रु० / अमरीकी डालर प्रति मी०टन)

अवधि	फाइन चावल	सुपर फाइन चावल	अभ्युक्तियां
19. 4.95—	6300-6700	6600-7000	हालांकि मूल्य सीमा अपरिवर्तित रही तथापि
9. 8.95—			पत्तन नगरों में बिक्री मूल्य 10.8.95 से 200/-रु० प्रति मी० टन बढ़ा दिया गया।